न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर–ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी :– श्री अशोक कुमार, आर ए एस

वाद पत्र संख्या :– 47/2024

उनवान

1.विमला देवी पत्नी श्री छीतरमल पालीवाल, उम्र 51 वर्ष, जाति बलाई, निवासी बलाईयों का मौहल्ला, ग्राम मउ, तहसील– श्रीमाधोपुर, जिला–सीकर राज.

प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा, जिला–जयपुर राज
2 मुकेश पुत्र छीतरमल
3. किशनलाल पुत्र श्यामलाल
4. बिरदीचन्द पुत्र श्यामलाल
5. अंजना कुलदीप पुत्री छीतर मल कुलदीप
6. अरुणा कुलदीप पुत्री छीतर मल कुलदीप
7 आशीष कुमार कुलदीप पुत्र छीतर मल कुलदीप
8 जयन्त कुमार पुत्र छीतर मल कुलदीप
9. प्रदीप कुमार कुलदीप पुत्र रुडाराम
10 शान्ती देवी पत्नि छीतर मल कुलदीप
11. सुरेश कुमार कुलदीप पुत्र रुडाराम
12. रामस्वरुप पुत्र रामकरण
13 बीना देवी पत्नि हरिनारायण
14. सुमन देवी पत्नि सत्यनारायण

समस्त वयस्क समस्त जाति रैगर, समस्त निवासी अमरसर, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज.

15. सोनी देवी पत्नी लक्ष्मीनारायण कुलदीप

जाति रैगर, निवासी ए 84, श्याम मित्र मण्डल नगर वि के आई एरिया रोड नं. 5 जयपुर

–अप्रार्थीगण

प्रा0 पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 एलआरएक्ट 1956

निर्णय दिनांकः 11/07/24

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है। प्रार्थीया के द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र पेश किया गया है कि हाल आराजी ख0 न0 1526/2143/0.40 है0, 1526/2099/0.40 है0 भूमि वाके ग्राम पठानो का बास, अमरसर तह0 शाहपुरा जयपुर प्रार्थीया की खातेदारी भूमि स्थित है जिस पर कब्जा काश्त करते चले आ रहे है। उक्त आराजी ख0 न0 1526/2143, 1526/2099 भूमि वाके पठानो का बास, अमरसर तह0 शाहपुरा जयपुर का उपतहसीलदार अमरसर के आदेश क्रमांक/सीमाज्ञान/2023/364 दिनांक 20.06.2023 की पालना में दिनांक 28.06.2023 को पडौसी खातेदारान व ग्राम के मौतबिरान की उपस्थिति में सीमाज्ञान

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर–ग्रामीण)

किया गया है। प्रार्थी की भूमि को पडौसी काश्तकार भूमि को दबाते रहते है जिससे आये दिन विवाद चलता रहता है। प्रार्थीया उक्त सीमाज्ञान के आधार पर प्रार्थीया अपनी भूमि का मुताबिक सीमाज्ञान के पत्थरगढी करवाना चाहता है।

प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता ली जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी सं0 09, 11 प्रकरण में उपस्थित आये। अप्रार्थी सं0 05, 06, 07, 08, 10 की ओर से अधिवक्ता श्री महेश कुमार रैगर ने अण्डरटेकिंग दी। वकील अप्रार्थी के द्वारा वकालतनामा, जवाब प्रा0 पत्र पेश नही किया गया। दिनांक 10.07.2024 को वकील अप्रार्थी व अप्रार्थी कोई उपस्थित नही हुये। अतः दिनांक 10.07.2024 को अप्रार्थी सं0 01 लगायत 15 उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। तहसीलदार शाहपुरा को प्रकारण के संबंध में रिपोर्ट भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। तहसीलदार शाहपुरा के पत्रांक/भू0अ0/2024/2634 दिनांक 24.05.2024 को रिपोर्ट प्रेषित की गयी। तहसीलदार शाहपुरा ने रिपोर्ट में जाहिर किया कि ग्राम पठानो का बास, अमरसर के हाल आराजी ख0 न0 1526/2143, 1526/2099 है0 भूमि का सीमाज्ञान की कार्यवाही की जा चुकी है। उक्त आराजी ख0 न0 1526/2143 की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर अन्य व्यक्ति का कच्चा व पक्का आवास है। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो, एवं फर्द मौका सीमाज्ञान का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया के द्वारा अपनी भूमि की सुरक्षा एवं आस पास के खातेदारों द्वारा सीमाचिन्ह के अभाव में सींव डोल काटने से आये दिन होने वाले विवादों की वजह से पत्थरगढी करवाना चाहता है। पत्थरगढी करवाना एक खातेदार/काश्तकार का अधिकार है तथा इसके द्वारा अपनी सीमा के विवाद, सीमा दबाना आदि अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचाव का यह एक उपाय है जिसके अभाव में काश्तकार अपनी सीमा चिन्ह से सुरक्षा आदि उपाय नहीं कर सकते है।

आदेश

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को आदेशित किया जाता है कि हाल आराजी ख0 न0 1526/2143/0.40 है0, 1526/2099/0.40 है0 भूमि वाकै ग्राम पठानो का बास, अमरसर तह0 शाहपुरा जयपुर प्रार्थीया की खातेदारी भूमि का पडौसी खातेदारान को सुचित करते हुए उनकी उपस्थिति में मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 28.06.2023 के अनुसार नियमानुसार पत्थरगढी करवावे। तदानुसार तहसीलदार शाहपुरा को आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11/07/24 को सरै इजलास सुनाया गया ।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

(अशोक कुमार)
उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर–ग्रामीण)